

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 19/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 01) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में, जहां-जहां भी शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 04) के उपवाक्य 110 के अंतर्गत" आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अंतर्गत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
2.	10/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 136 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में,- (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110, जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक के घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

		(ii) उक्त सारणी में, शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
3.	11/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 137 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110, जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक के घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ii) शब्द और अंक “वित्त विधेयक, 2018 के उपर्युक्त उपवाक्य” के स्थान पर शब्द और अंक “वित्त अधिनियम, 2018 की उपर्युक्त धारा” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(iii) स्पष्टीकरण में शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110 के अंतर्गत” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अंतर्गत” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>
4.	12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 138 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110, जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक के घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>

		<p>(ii) शब्द और अंक "वित्त विधेयक, 2018 के उपर्युक्त उपवाक्य" के स्थान पर शब्द और अंक "वित्त अधिनियम, 2018 की उपर्युक्त धारा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(iii) स्पष्टीकरण में शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110 के अंतर्गत" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अंतर्गत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>
5.	13/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 139 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110, जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक के घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ii) शब्द और अंक "वित्त विधेयक, 2018 के उपर्युक्त उपवाक्य" के स्थान पर शब्द और अंक "वित्त अधिनियम, 2018 की उपर्युक्त धारा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(iii) स्पष्टीकरण में शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110 के अंतर्गत" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अंतर्गत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>

(फाइल संख्या 334/04/2018-टीआरयू -भाग)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार